न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2022 / 277

दायरा तिथि : 22.07.2022

आदेश तिथि : 23-02-2024

प्रार्थी :–

श्री ललित कुमार ओझा पुत्र ब्रजलालजी जाति ब्राम्हण निवासी बिसलपुर, तहसील बाली जिला पाली (राज.) हाल–सुमेरपुर।

ब ना म

अप्रार्थी :–

सोहनीदेवी पत्नी सत्यनारायण अग्रवाल निवासी सुमेरपुर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक: 23-02-2024

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की सहखातेदारी भूमि ग्राम बिसलपुर पटवार हल्का बिसलपुर तहसील बाली के खसरा नंबर 456 / 2386 रकबा 4.0500 हैक्टर की भूमि मे आवागमन के लिए कोई विकल्प / रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण इन्दरसिंह पुत्र शंभुसिंह वगैरा की सहखातेदारी भूमि ग्राम बिसलपुर पटवार हल्का बिसलपुर तहसील बाली के खसरा नंबर 427 रकबा 15.0100 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा मे लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बिसलपुर ने जांच कर पत्रांक / राजस्व / 2022 / 3586 दिनांक 23.12.2022 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली एवं भू.अ. निरीक्षक, बिसलपुर की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह है कि ग्राम बिसलपुर के खसरा नंबर 456 / 2386 रकबा 4.0500 हैक्टर प्रार्थी श्री इन्दरकुमार पुत्र श्री ब्रजलालजी जाति ब्राम्हण हि. 1/3, दुर्गादेवी पत्नि ब्रजलाल जाति ब्राम्हण हि. 1/3, व ललित कुमार पुत्र ब्रजलाल जाति ब्राम्हण हि. 1/3 के नाम से संयुक्त खातेदारी भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। खातेदार की धारित भूमि में प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नही है।
2. यह है कि ग्राम बिसलपुर के खसरा नंबर 427 रकबा 15.0100 हैक्टर भूमि किस्म बारानी अव्वल में से खातेदार इन्दरसिंह पुत्र शम्भुसिंह वगैरा कुल 20 खातेदार संलग्न जमाबंदी अनुसार दर्ज है।
3. यह है कि रास्ते हेतु चाहा गया खसरा नं. 427 मे पूर्ण खसरा में राजस्थान मरूधरा ग्रामिण बैंक का रहन दर्ज है।
4. यह है कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है–

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली

क्र. सं.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	427	15.0100 हैक्टर	बारानी अव्वल	120x5= 600 वर्गमीटर	इन्दरसिंह पुत्र शम्भुसिंह जाति राजपूत वगैरा

5. यह कि प्रस्तावित भूमि ग्राम बिसलपुर की डी.एल.सी. दर 155547 रू / – रूपये प्रति हैक्टर है।

प्रस्तावित रास्ते की भूमि में किसी प्रकार का कोई भी निर्माण / वृक्ष नही है एवं न ही वृक्ष इत्यादि की क्षति है।

प्रकरण मे तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई।

उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला–पाली) लगातार 02.........

Scanned by CamScanner

तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात प्रार्थी ने अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा नं 456/2386 में आवागमन के लिए खसरा नं 427 के सहखातेदारों से रास्ते की मांग की थी। प्रकरण के चलते खसरा नं 427 के सहखातेदारों के द्वारा अपनी सहखातेदारी भूमि का आपसी सहमति से विभाजन करवा दिया है तथा प्रार्थी ने जहां से रास्ता चाहा है तथा तहसीलदार बाली ने जो रास्ता प्रस्तावित किया है उसके अनुसार अब आवेदक को वर्तमान खसरा नं 2740/427 में से ही रास्ता चाहीए, जिसके खातेदार सोहनी देवी पत्नि सत्यनारायण अग्रवाल है। जिससे पूर्व प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में संशोधन करते हुए उक्त प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार तथा वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज इन्द्राज के अनुसार खसरा नं 2740/427 अप्रार्थी सोहनी देवी पत्नि सत्यनारायण अग्रवाल की भूमि से रास्ता दिलाने की मांग की। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की नकल अधिवक्ता अप्रार्थी को दिलाई गई तथा उपस्थित वकुलाय की बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की सहखातेदारी भूमि ग्राम बिसलपुर तहसील बाली के खसरा नंबर 456/2386 रकबा 4.0500 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। जिस तथ्य को तहसीलदार बाली ने अपनी जांच रिपोर्ट मे स्वीकार किया है। दिनाक 16.01.2024 को प्रार्थी ललित कुमार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत जमाबदी व नक्शे की प्रतियों से प्रमाणित है कि प्रार्थी द्वारा ग्राम बिसलपुर के खसरा नं 427 में से रास्ते की मांग की थी, परंतु वर्तमान में खसरा नं 427 के सहखातेदारों के द्वारा अपनी भूमि का आपसी सहमति से विभाजन कर दिया है। जिसके अनुसार आवेदक को वर्तमान मे खसरा नंबर 2740/427 जिसके खातेदार सोहनी देवी पत्नि सत्यनारायण की भूमि से ही रास्ता माफिक रिपोर्ट तहसीलदार बाली दिया जाना न्यायसंगत है। चूंकि तहसीलदार बाली ने अपनी जांच रिपोर्ट में खसरा नं 427 में से खसरा नंबर 428 की माठ से लगते हुए भाग से पांच मीटर चौडा रास्ता प्रस्तावित किया है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप-6) की अधिसूचना क्रमाक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप-6) के परिपत्र क्रमॉक प.3(52) राज-6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की सहखातेदारी भूमि ग्राम बिसलपुर पटवार हल्का बिसलपुर के खसरा नंबर 456/2386 रकबा 4.0500 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थी सोहन देवी पत्नि सत्यनारायण अग्रवाल साकिन सुमेरपुर की खातेदारी भूमि ग्राम बिसलपुर पटवार हल्का बिसलपुर तहसील बाली के खसरा नंबर 2740/427 रकबा 0.64 हैक्टर में से **480 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राषि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :-

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर मे	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 155547/-रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
2740/427	0.64 हैक्टर	120X4=480 वर्गमीटर	16	7680X2=15360	सोहनी देवी पत्नि सत्यनारायण अग्रवाल साकिन सुमेरपुर

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 15360/- (अक्षरे पन्द्रह हजार तीन सौ साठ रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली व निरीक्षक भू-अभि. बिसलपुर द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड मे बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला-पाली) राज
उपखण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार 03.........

Scanned by CamScanner

//03//

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gems No 2022/277

अनवान ललित कुमार ओझा बनाम प्रवीण कुमार अग्रवाल

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

दिनांक : 23-02-2024

क्रमॉक/कोर्ट/2024/238-242

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–

1. तहसीलदार, बाली
2. निरीक्षक भू0अ0 बिसलपुर
3. पटवारी हल्का, बिसलपुर
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक श्री ललित कुमार ओझा पुत्र ब्रजलालजी जाति ब्राम्हण निवासी बिसलपुर, तहसील बाली जिला पाली (राज.) हाल–सुमेरपुर को सूचनार्थ।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी * बाली, जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला–पाली) राज

Scanned by CamScanner

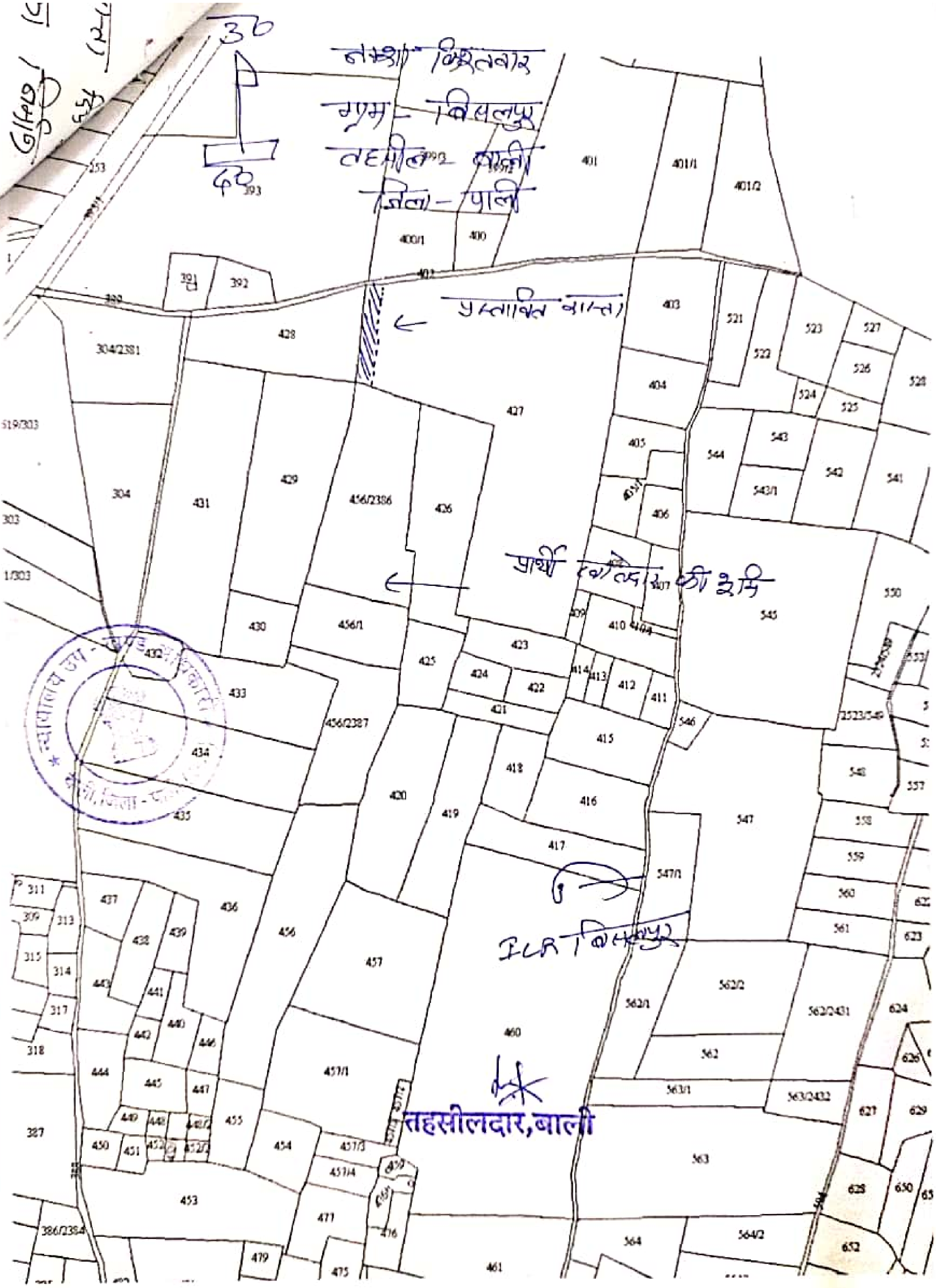

Scanned by CamScanner